



भारतीय सेना में महिलाओं को कमान की भूमिका

प्रलिस के लयि:

लैगकि समानता, भारतीय सेना, समावेशता ।

मेन्स के लयि:

समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा चताओं के संदर्भ में सेना में महिलाओं की भूमिका का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय सेना** ने महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए पहली बार **108 महिला अधिकारियों** को उनके संबंधित सैन्य दल /ट्रुप और सेवाओं में यूनिट एवं सैनिकों को कमांड करने हेतु मंजूरी प्रदान की ।

- **लैगकि समानता** की दशा में यह एक बड़ा कदम होगा ।
- यह नरिणय अधकि **महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लयि प्रोत्साहति करेगा** और संगठन के भीतर वविधिता एवं **समावेशता** को बढ़ावा देने में मदद करेगा ।

सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2020 के आदेश:

- वर्ष 2019 में सेना ने **शॉर्ट सर्विस कमीशन (Short Service Commission- SSC)** की महिला अधिकारियों को स्थायी आयोग का वकिलूप चुनने की अनुमति देते हुए अपने नयिमों में बदलाव कया, जो अन्यथा 14 साल की सेवा के बाद सेवानवृत्त हो जाती ।
- हालाँकि यह पूर्वव्यापी नहीं था और केवल **वर्ष 2020 में सेना में अपना करियर शुरू करने वाली महिला अधिकारियों पर लागू होता था** ।
- वर्ष 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतहासकि फैसले द्वारा **महिला अधिकारियों के लयि पूर्वव्यापी प्रभाव से स्थायी आयोग की व्यवस्था की गई** ।
 - इसने सेना में उनकी आगे की उन्नति और पदोन्नतिका मार्ग प्रशस्त कया, जसिने हाल ही में महिलाओं के लयि नेतृत्व और उच्च प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू कया है ।

महिलाओं को करनल रैंक पर पदोन्नत करने में देरी:

- सेना में एक अधिकारी को **वार्षकि गोपनीय रपिर्ट** और वभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर **16 से 18 वर्ष के बीच सेवा के बाद** ही करनल के पद पर पदोन्नत कया जाता है ।
- सेना में शामिल होने वाली महिला अधिकारियों को वर्ष 1992 में **SSC अधिकारियों के रूप में शामिल कया गया था** लेकिन बाद के वर्षों में **स्थायी आयोग** का वकिलूप चुनने का वकिलूप नहीं था ।
- JAG और सेना शकिषा कोर अपवाद थे, क्योंकि इनके लयि वर्ष 2008 में स्थायी आयोग बनाया गया था ।
- **अन्य सैन्य और सेवाओं के लयि महिलाएँ स्थायी कैडर नहीं बन सकती थीं**, क्योंकि उन्हें करनल बनने के लयि अनविर्य सेवा अवधिपूरी करने से पहले ही सेवानवृत्त होना पड़ता था ।

यूनटि को कमांड करने का अर्थ:

- **करनल** के पद पर पदोन्नत होने के बाद अधिकारी को **सैनिकों को सखत आदेश देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है** ।
- **करनल सेना में एक प्रतषिठति पद** है क्योंकि यह एक उच्च पद है, लेकिन यह **अधिकारी को सैनिकों के साथ सीधे बातचीत करने की भी अनुमति देता है** ।
- यह बातचीत करनल को नेतृत्व और नरिणय लेने के लयि अधकि व्यावहारकि दृष्टिकोण रखने में सहायता करती है, हालाँकि यह अवसर ब्रिगिडियर या मेजर जनरल जैसे उच्च-रैंक के अधिकारियों हेतु उपलब्ध नहीं है ।

सेना के वभिन्न क्षेत्र जहाँ महिलाओं को कार्य करने की अनुमति नहीं:

- महिलाएँ अभी भी **इन्फैंट्री, मैकेनाइज़्ड इन्फैंट्री और सेना के रूप में बख्तरबंद** जैसे मुख्य शस्त्रों के लिये पात्र नहीं हैं क्योंकि सेना में महिलाओं को पैदल सैनिकों के रूप में सीमाओं पर युद्ध लड़ने की अनुमति नहीं है। यह प्रतरोध पुरुष सैनिकों को युद्ध केंद्रों के रूप में दुश्मन द्वारा प्रताड़ित किये जाने के पछिले उदाहरणों से उपजा है।
- हालाँकि सेना ने हाल ही में महिलाओं के लिये एक सहायक बल '**कोर ऑफ आर्टिलरी**' खोलने का नरिणय लया है।

भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना (IAF):

- **नौसेना** की सभी शाखाओं में महिला अधिकारियों को शामिल कया गया है और वे भवषिय में स्थायी कमीशन के लिये पात्र होंगी।
- **महिला अधिकारी तट-आधारित इकाइयों की कमान संभाल सकती हैं** और जैसे ही वे सेवा में शामिल होती हैं और स्थायी कमीशन के लिये पात्र हो जाती हैं, वे जहाज़ों एवं हवाई स्क्वाड्रन को कमांड करने में सक्षम होंगी।
- **IAF** ने महिला अधिकारियों के लिये सभी शाखाएँ खोल दी हैं, जनिमें फाइटर स्ट्रीम और नई हथयार प्रणाली शाखा (Weapon Systems Branch) शामिल हैं।
- चूँकि उन्हें पात्रता और रकितियों के आधार पर स्थायी कमीशन दया जाता है, इसलये वे भवषिय में कमांड इकाइयों के लिये पात्र होंगी।

अन्य सेनाएँ जो महिलाओं को कमांड पोज़ीशन धारण करने की अनुमति देती:

- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस और इज़रायल सहित सभी प्रमुख देश महिलाओं को अपने राष्ट्रीय सशस्त्र बलों में कमांड पदों पर तैनाती की अनुमति देते हैं। इसमें अधिकारियों और गैर-कमीशंड अधिकारियों जैसे पदों के साथ-साथ लड़ाकू इकाइयों और विशेष बलों में भूमिकाएँ शामिल हैं।

आगे की राह

- भारतीय सेना को कमांड भूमिकाओं हेतु महिलाओं के लिये प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करनी चाहयि, ताकि यह सुनिश्चित कया जा सके कि वे प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने में सक्षम हों।
- भारतीय सेना को सेना में शामिल होने के लिये अधिक महिलाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहयि और भर्ती करना चाहयि, ताकि योग्य महिलाओं का एक बड़ा पूल हो जो कमांड भूमिका नभि सकें।
- भारतीय सेना को सेना की संस्कृति को बदलने के लिये काम करना चाहयि ताकि यह महिलाओं के लिये अधिक समावेशी हो और मौजूद कसी भी पूर्वाग्रह को दूर कर सके।
- भारतीय सेना को महिला सैनिकों के लिये बेहतर सुवधिएँ और सहायता प्रदान करने हेतु भी काम करना चाहयि जैसे कि बाल देखभाल, मातृत्व अवकाश और अन्य आवश्यकताएँ जो महिलाओं के लिये वशिष्ट हैं।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. "हालाँकि आज़ादी के बाद के भारत में महिलाओं ने वभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कया है, लेकिन महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रती सामाजिक रवैया पतिसत्तात्मक रहा है।" महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण योजनाओं के अलावा कौन से हस्तक्षेप इस परिविश को बदलने में मदद कर सकते हैं? (2021)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस